गाटा सं0– 138, ग्राम– बिछावली कछार, तहसील व परगना– सिकन्दरा, जनपद– रमाबाई नगर (कानपुर देहात) में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉं, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 15–05–2012 को अपरान्हः 5:00 बजे प्राथमिक विद्यालय बिछावली बांगर, तहसील– सिकन्दरा, रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या– **एफ 00637/सी–2/एन0ओ0सी0/3717/2012** दिनॉक **06–03–2012** एवं अपर जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा उक्त परियोजना की लोकसुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र (दैनिक आज– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक 15–05–2012 को अपरान्हः 5:00 बजे प्राथमिक विद्यालय बिछावली बांगर, तहसील– सिकन्दरा, रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी– अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी जिसकी कार्यवृत्त का विवरण निम्नवत् है।

उक्त लोकसुनवाई की आम सूचना स्थानीय (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक – 1)**।

लोकसुनवाई की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा की गयी। लोकसुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों में डा0 (श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, डा0 सुशील कुमार खनन निरीक्षक, रमाबाई नगर एवं अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं समीपवर्ती ग्रामवासी उपस्थित थे। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अवसर पर उपस्थित सदस्यों की सूची की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक– 2)**।

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉं, जनपद– रमाबाई नगर के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0 द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि खसरा सं0– 138, समीप विलासपुर कछार, ग्राम– बिचावली कछार, तालुका– सिकन्दरा, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त कराया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0–1533 दिनॉक 14–09–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 जनपद– रमाबाई नगर में उक्त माइनिंग हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी के अनुपालनार्थ दिनॉक 30–04–2012 को इस लोकसुनवाई का आयोजन किया गया था परन्तु अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त लोकसुनवाई की कार्यवाही स्थगित करते हुए निर्देशित किया गया था कि पुनः ग्राम– बिछावली बांगर के ग्रामवासियों को सूचित कर 10–12 दिनों के अन्दर लोकसुनवाई की निश्चित तिथि एवं उपयुक्त स्थल की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जाये। उक्त के अनुपालन में समस्त आवश्यक प्रकियाओं का निस्पादन करते हुए दिनॉक 15–05–2012 को अपरान्हः 5:00 बजे प्राथमिक विद्यालय बिछावली बांगर, तहसील– सिकन्दरा, रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष लोक सुनवाई की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन पुनः किया गया।

परियोजना के विषय में ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड कियेशन इण्डिया (प्रा0) लि0 के प्रतिनिधि श्री आशीष वर्मा, प्राजेक्ट इंचार्ज ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड कियेशन इण्डिया (प्रा0) लि0, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टा दिनॉक 28–02–2008 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु श्री अजय कटियार पट्टाधारी हैं। खनन का क्षेत्र ग्राम– बिछावली कछार, तहसील– सिकन्दरा, जनपद– रमाबाई नगर, उ0प्र0 है जिसका क्षेत्रफल 24.22 हेक्टेयर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के गजट अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2006 यथासंशोधित दिसम्बर, 2009 एवं अप्रैल,

Shatuved.

2011 के अनुसार प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी 'बी' में रखा गया है। खनन के लिये उपलब्ध क्षेत्रफल 24.22 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित होगा। प्रत्येक वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 1.89 लाख टन सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र का उपयोग नदी के प्राकृतिक प्रवाह के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया गया है।

मानसून के दौरान खनन की कोई गतिविधि नही की जायेगी। रेत खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरो द्वारा नदी के कुल चौड़ाई के 25–25 प्रतिशत दोनों किनारों को छोड़कर बीच के 50 प्रतिशत भाग से नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संगृहित की जायेगी। खनन की प्रकिृया केवल 3.0 मी0 की गहराई तक ही की जायेगी। इसके लिये केवल हाथों वाले औजार जैसे फावड़ा, तगाड़ी एवं चलनी आदि का प्रयोग किया जायेगा। खनन की प्रकिया केवल दिन के दौरान ही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इस परियोजना के लाभ के विषय में बताया गया कि नदी के किनारों को चौड़ा होने से रोकना तथा अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ और नुकसान से बचाना है इससे नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों इत्यादि के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों का मौजूदा मार्ग बने रहता है। समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिये आजिविका के अवसर उपलब्ध रहते हैं। इस परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत की आपूर्ति में सुधार होगा जिससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे सड़कों, इमारतों एवं पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा में उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये निम्नाकिंत प्रश्नों के सापेक्ष निम्नांकित उत्तर दिये गये।

प्रश्न 1– बालू खनन क्षेत्र के आस–पास समीपवर्ती किसानों की भूमि में भी रेत की कुछ मात्रा उपस्थित रहती है जिसके निकालने के लिए अनुमति क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जायेगी? इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र से रेत को ले जाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहनों हेतु मार्ग के निर्माण में कोई जोर–जबरदस्ती की जायेगी अथवा समीपवर्ती लोगों की इच्छा से किया जायेगा ? (श्री फुंदी लाल पुत्र श्री भगवान दीन, ग्राम– बिछावली बांगर)

उत्तर– अपर जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर/अध्यक्ष लोकसुनवाई द्वारा अवगत कराया गया कि जिन किसानों की भूमि पर नदी द्वारा बालू आ गयी है वह किसान खेत से बालू निकासी के लिए इस निवेदन के साथ आवेदन पत्र स्थानीय प्रशासन को प्रेषित करेगा कि बालू हटाने के बाद उनकी भूमि खेती के योग्य हो जाएगी। प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल की जॉच करायी जाएगी और उनकी जॉच में जब यह स्पष्ट होगा कि बालू निकासी के उपरान्त भूमि खेती के योग्य हो जाएगी तो सम्बन्धित किसान को तीन माह के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।

बालू खनन क्षेत्र से वाहनों द्वारा बालू ले जाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले परिवहन मार्ग का निर्माण पट्टा धारक द्वारा किया जाएगा तथा जिन किसानों के खेत में से परिवहन मार्ग बनाया जायेगा उसकी क्षतिपूर्ति भी पट्टा धारक द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रभावित किसानों की सहमति के बिना किसानों के खेत में से जबरदस्ती परिवहन मार्ग पट्टा धारक द्वारा नही बनाया जायेगा।

प्रश्न 2– सैण्ड माइनिंग प्रकिया से प्राप्त आय से ग्राम सभा को क्या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी? (श्री रामसूरत राजपूत पुत्र श्री श्रीकृष्ण प्रधान, ग्राम– मंगलपुर)

उत्तर– अपर जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर/अध्यक्ष लोकसुनवाई द्वारा अवगत कराया कि सैण्ड माइनिंग प्रकिया से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है वह सरकार के खाते में भेज दी जाती है। सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्र का विकास कार्य कराया जाता है। रायलटी की राशि इसी ग्राम में खर्च होगी, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

Bhatnagar.

प्रश्न 3– क्या समीपवर्ती ग्रामवासियों के किसानों को आवश्यकतानुसार रेत मिलेगी या नही ? उक्त कार्य हेतु **गॉव में उपलब्ध श्रमिकों को कार्य मिलेगा या नही ? (श्री सूरज सिंह, पुत्र श्री मैकूलाल, ग्राम– बिछावली बांगर)**

उत्तर– अपर जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर/अध्यक्ष लोकसुनवाई द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों को ही नहीं किसी भी व्यक्ति को रायल्टी अदा करने पर बालू की आपूर्ति की जाएगी। बालू खान में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह पहले ही बताया दिया गया है। स्थानीय मजदूरों द्वारा ही कार्य कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना स्थल के निकटवर्ती किसानों के सम्बन्ध में सभा में यह पूछने पर कि इन किसानों को किसी तरह की कोई आपत्ति तो नही है, इस प्रसंग पर सभा में उपस्थित समस्त जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर अपनी स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई। इसी के साथ ही सभा के समापन की घोषणा अपरजिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई, महोदय द्वारा की गई।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

Shatuved.

(डा0(श्रीमती शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद– रमाबाई नगर।

( )
अपर जिलाधिकारी /अध्यक्ष, लोकसुनवाई
जनपद– रमाबाई नगर